

**विवरण 48 : बारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित ऋण समेकन और राहत सुविधा के तहत पात्र राज्यों द्वारा प्राप्त ऋण / ब्याज राहत**

(करोड़ रुपये)

राज्य	2009-10	
	ऋण राहत	ब्याज राहत
1	2	3
<b>I. गैर विशेष श्रेणी</b>		
1. आंध्र प्रदेश	—	427
2. बिहार	385	195
3. छत्तीसगढ़	93	50
4. गोवा	—	11
5. गुजरात	472	257
6. हरियाणा	—	39
7. झारखंड	105	61
8. कर्नाटक	358	217
9. केरल	—	106
10. मध्य प्रदेश	363	226
11. महाराष्ट्र	340	122
12. उड़ीसा	—	122
13. पंजाब	—	99
14. राजस्थान	—	133
15. तमिलनाडु	263	142
16. उत्तर प्रदेश	—	625
17. पश्चिम बंगाल	—	—
<b>II. विशेष श्रेणी</b>		
1. अरुणाचल प्रदेश	—	12
2. असम	—	1
3. हिमाचल प्रदेश	—	24
4. जम्मू और कश्मीर	—	45
5. मणिपुर	—	-11
6. मेघालय	—	9
7. मिजोरम	—	8
8. नागालैंड	—	9
9. सिक्किम	—	—
10. त्रिपुरा	—	13
11. उत्तराखंड	—	7
<b>सभी राज्य</b>	<b>2,380</b>	<b>2,946</b>

स्रोत : वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।